न्यायालय– राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 491-I/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.01.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 712/2011–12 अपील।

मनोहर सिंह दत्तक पुत्र भैरूसिंह राजपूत,
निवासी शामगढ़, तहसील शामगढ़,
जिला – मन्दसौर (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

1. रूपसिंह पिता देवीसिंह,
   निवासी शामगढ़, तहसील शामगढ़,
   जिला – मन्दसौर (म.प्र.)
2. रतनकुँवर वैवा दाणीसिंह राजपूत (मृतक)
   द्वारा – वारिसान :–
   अ. गोविन्द कुँवर पति स्व. श्री देवीसिंह हाडा,
   निवासी भेसोदा, तहसील भानपुरा,
   जिला – मन्दसौर (म.प्र.)
   ब. गोपाल कुँवर पिता स्व. श्री दाणीसिंह पंवार,
   निवासी राजपूत मौहल्ला शामगढ़, तहसील शामगढ,
   जिला – मन्दसौर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री पंकज जैन, अभिभाषक – आवेदक
श्री बी.एस. सिसोदिया, अभिभाषक – अनावेदक क्रं.1
श्री सुशील सिंह भदौरिया – अनावेदक क्रं.2 के वारिसान

आदेश

(आज दिनांक 07/05/2015)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 712/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश, भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा शामगढ़ के भूमिस्वामी भंवरबाई पिता भैरूसिंह की मृत्यु होने से वारिस नामान्तरण हेतु जारी विज्ञप्ति पर आवेदक मनोहर सिंह पिता दाणीसिंह एवं रूपसिंह पिता देवीसिंह द्वारा पृथक–पृथक आवेदन पत्र पेश किये गये। निराकरण हेतु दोनों आवेदन पत्र सम्मिलित कर प्रकरण क्रमांक 36/अ–6/2010–11 पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही शुरू की गयी। दोनों पक्षों द्वारा स्वंय को मृतका का एकमात्र वारिस बताया मनोहर सिंह द्वारा मृतक की माता फूल कुँवर एवं पिता भैरूसिंह द्वारा स्वंय को भतीजा होने से गोद रखे जाने तथा मृतक का निकटतम रक्त संबंधी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत वारिस नामान्तरण की मॉग की गयी एवं अपने पक्ष में साक्षियों के कथन करवाये गये। रूपसिंह पिता देवीसिंह द्वारा मृतक द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी तथा वसीयत के दोनों साक्षियों के मृत्यु होने से कथन करवाने में असमर्थता के कारण अन्य साक्षियों के कथन करवाये तथा मूल वसीयत एवं दस्तावेज कथित रूप से गुम होने के कारण पंजीयक कार्यालय से अभिप्रमाणित प्रति पेश कर वसीयत से प्राप्त स्वत्व का नामान्तरण करने की मॉग कर विपक्षी मनोहर सिंह से आपसी सहमति से किये गये इकरारनामा कथन की प्रतियॉ भी पेश की गयी तथा मनोहर सिंह के हक को अस्वीकार कर स्वंय को एकमात्र वारिस स्वीकार करने की मॉग की गयी। अतः तहसील न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर दिनांक 21.10.2011 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार शामगढ़ के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, गरौठ, जिला मन्दसौर के समक्ष पेश की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, गरौठ, जिला मन्दसौर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक

17.08.2012 पारित करते हुए अपील अस्वीकार की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, गरौठ, जिला मन्दसौर के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 24.01.2013 को स्वीकार की गयी। इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आवेदक मनोहरसिंह का नाम खाते से कम कर विपक्षी रूपसिंह का नाम मृतक भॅवरसिंह के स्थान पर दर्ज करने का आदेश देने में गम्भीर भूल की है। विपक्षी रूपसिंह के पक्ष में मृतक भॅवरबाई द्वारा कथित दिनांक 01.03.1980 एवं दिनांक 25.05.1984 को कभी कोई वसीयत नहीं की गई एव ना ही असल वसीयत कभी भी तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुयी, उक्त वसीयतें पूर्णतः फर्जी एवं बनावटी है, जिनके आधार पर नामान्तरण चाहा है। इसी बावत् विपक्षी रूपसिंह द्वारा दिनांक 26.02.2012 को द्वितीय साक्ष्य पेश करने एवं छाया प्रति को साक्ष्य में ग्रहण करने का आवेदन दिया गया। जिस पर से दिनांक 28.02.2011 को न्यायालय द्वारा आदेश देकर वसीयत द्वितीय साक्ष्य मान्य की गयी। उक्त आदेश दिनांक 29.11.2011 के विरूद्ध आवेदक मनोहरसिंह द्वारा न्यायालय कलेक्टर मंदसौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, निगरानी में कलेक्टर, मंदसौर द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2011 पारित कर निगरानी स्वीकार कर यह निर्देश दिया गया कि वस्तुतः वसीयत कभी भी प्रस्तुत ही नहीं हुई और ना ही आदेश पत्रिका में वसीयत प्रस्तुत करने का उल्लेख है, इसलिए असल वसीयत के बावत् द्वितीय साक्ष्य मान्य नहीं की जा सकती। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी रूपसिंह द्वारा कोई निगरानी, अपील आज तक वरिष्ठ न्यायालय में नहीं की गई। इस कारण कलेक्टर, मन्दसौर का निगरानी में दिया गया आदेश दिनांक 16.06.2011 अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक, अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि जिस वसीयत के आधार पर विपक्षी ने मृतक भॅवरबाई की सम्पत्तियों पर व कृषि

भूमियों पर नामान्तरण चाहा है, उक्त वसीयत ना तो प्रस्तुत हुई है और ना ही कथित वसीयत के दोनों साक्षियों के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये है। इस प्रकार बिना दस्तावेज प्रस्तुत हुए व बिना साक्षीगण के द्वारा वसीयत दस्तावेज को प्रमाणित कराये बिना रूपसिंह की अपील स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है। वसीयत को साबित करने के लिए प्रस्तुतकर्त्ता द्वारा कम से कम अनुप्रमाणन साक्षी का न्यायालय में कथन करवाया जाना आवश्यक है, जबकि विपक्षी रूपसिंह द्वारा ना तो असल वसीयत कभी प्रस्तुत प्रकरण में की गई और ना ही कथित वसीयत के कथित गवाह न्यायालय में करवाये गये। वसीयत के गवाह चैनसिंह राजपूत व कन्हैयालाल मालवीय के जिन्दा रहते हुए उनके कथन नहीं करवाये जाना व ना ही गवाहों के मृत्यु संबंधी कोई मृत्यु प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी का प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण असल वसीयत के अभाव में छाया प्रति के आधार पर नामान्तरण का मूल आवेदन पत्र वैधानिक रूप से प्रचलन योग्य ही नहीं था, इसलिए अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक, अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि मनोहर सिंह द्वारा गोद चले जाने बावत् स्वंय के अलावा क्रमशः गोदी की रस्म शरीक होने वाले पंडित रामगोपाल, रामचन्द्र खाती, उदयसिंह राजपूत, रामसिंह राजपूत, गोकुलसिंह एवं दरबारसिंह के कथन करवाये हैं। उक्त साक्षियों के कथनों पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा बिना किसी प्रकार की विवेचना किये बिना उक्त कथनों पर कोई निष्कर्ष दिये बिना आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है। मनोहरसिंह द्वारा धारा 15(2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई जीवित सन्तान नहीं होने से व मृतक भॅवरबाई के मृत्यु के बाद भैरूसिंह के छोटे भाई दाणीसिंह का एकमात्र जीवित पुत्र आवेदक मनोहरसिंह, धारा 15(2) हिन्दू उत्तराधिकार के तहत मृतक का रक्त संबंधी होने से उत्तराधिकारी की श्रेणी में आता है। इस उत्तराधिकार की श्रेणी बावत् विपक्षी रूपसिंह द्वारा कहीं पर कोई चुनौती नहीं दी गई। इस कारण मृतक के खाते पर मनोहरसिंह अपना नामान्तरण करवाने का अधिकारी है। विपक्षी रूपसिंह पिता देवीसिंह ना तो मृतक भॅवरबाई का रक्त संबंधी है और ना ही शामगढ़ का मूल निवासी है। विपक्षी

रूपसिंह मूलतः ग्राम गेलाना, तहसील पिडावा (राजस्थान) का मूल निवासी होकर मृतक के परिवार से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। अन्त में यह बताया गया कि उसकी ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश अपास्त किया जायें एवं विवादित भूमियों पर आवेदक मनोहरसिंह अकेले का नाम मृतक का वैध वारिस माना जाकर व गोदी पुत्र होने के नाते नामान्तरण करने के आदेश प्रदान किये जाये।

4– अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने लिखित तर्को में बताया कि विवादित भूमि की भूमिस्वामी भॅवरबाई पिता भैरूसिंह की मृत्यु होने के कारण वारिस नामान्तरण हेतु विज्ञप्ति पर आवेदक मनोहरसिंह एवं अनावेदक रूपसिंह द्वारा पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर दोनों आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर कार्यवाही की गयी थी। आवेदक मनोहरसिंह द्वारा स्वंय को मृतक भॅवरबाई की माता फूलकुॅवर एवं पिता भैरूसिंह द्वारा स्वंय को गोद लेना बताते हुए नामान्तरण पेश किया, परन्तु प्रकरण के दौरान ही जब उसे यह लगा कि उसका गोद लिये जाने का आधार अत्यन्त कमजोर है तो उसने अभिवचनों को परिवर्तित करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 15(2) के अन्तर्गत निकटतम रक्त संबंधी होने से नामान्तरण हेतु अपना दावा प्रस्तुत किया तथा अनावेदक क्रमांक 1 रूपसिंह ने मृतक भॅवरसिंह के कृषि खातों पर मृतक भॅवरबाई की पंजीकृत वसीयत दिनांक 23.05.1984 के आधार पर अपना नामान्तरण करने हेतु आवेदन किया। उक्त दोनों आवेदन पत्रों पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक 21.10.2011 को तहसीलदार शामगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 रूपसिंह द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गरौठ, जिला मन्दसौर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 3/2011–12 प्रस्तुत की गयी थी एवं प्रकरण क्रमांक 15/2011–12 मनोहरसिंह द्वारा प्रस्तुत हुयी थी। उक्त अपील में आवेदक की अपील स्वीकार करते हुए अनावेदक रूपसिंह की अपील आदेश दिनांक 17.08.2011 से निरस्त की गयी थी। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध रूपसिंह द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील क्रमांक 712/2011–12 एवं 695/2011–12 प्रस्तुत की गयी थी। उक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु एक जैसे होने से अपर

आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2013 से अपीलें स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। जिसमें आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि मृतक भॅवरबाई पिता भैरूसिंह की मृत्यु दिनांक 18.02.2010 बताते हुए स्वंय को भॅवरबाई पिता भैरूसिंह का दत्तक पुत्र होने के आधार पर नामान्तरण की मॉग की गयी है, यह भी बताया कि उसके असली पिता दाणीसिंह ने अपने जीवित अवस्था में भैरूसिंह की विधवा फूलाबाई के यहॉ दत्तक रख दिया था। जिसके संबंध में मनोहरसिंह ने वंशवृक्ष दिया था, जिसमें भीमसिंह के पुत्र के रूप में भैरूसिंह एवं दाणीसिंह को गलत तौर पर बताया है, बाद में रूपसिंह द्वारा न्यायालय में असल वंशवृक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे आवेदक द्वारा मानते हुए संशोधन भी किया है। मनोहरसिंह का मूल प्रार्थनापत्र दत्तक होने के नाते नामान्तरण चाह रहा है और सम्पूर्ण साक्ष्य भी दत्तक होने के संबंध में प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्त्ता को लगा कि दत्तक के बिन्दु पर उसका प्रकरण अत्यन्त कमजोर है तो उसने व्यवहार प्रक्रिया के संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए, भॅवरबाई की सम्पत्ति मृतक से नहीं मिली हुयी होकर उत्तर जीविता हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्राप्त होना बताते हुए संशोधन किया। जिसके मान से भी तहसीलदार शामगढ़ द्वारा जो आदेश पारित किया, वह न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाशक द्वारा यह भी बताया गया कि रूपसिंह पिता देवीसिंह द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा है। मृतक भॅवरबाई पिता भैरूसिंह ने अपनी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 23.05.1984 को रूपसिंह के नाम की थी। रूपसिंह से भिन्न किसी भी व्यक्ति के रूप में मृतका भॅवरबाई ने उसकी सम्पत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज निश्पादित नहीं किया है। इस मान से मृतका भॅवरबाई के मृत्यु के उपरांत उक्त वसीयत के द्वारा रूपसिंह सम्पत्ति का मालिक हो गया है, जिसके संबंध में उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि इन्दरबाई वैवा रामसिंह एवं भॅवरबाई पिता भैरूसिंह ने अलग–अलग वसीयत के माध्यम से दिनांक 23.05.1984 को रूपसिंह के पक्ष में की है। इन्दरबाई का स्वर्गवास दिनांक 05.09.1988 को हुआ, उसके बाद

इन्दरबाई के वसीयत के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नामान्तरण हेतु प्रकरण क्रमांक 24/अ–6/1988–89 प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रकरण में दिनांक 24.12.1991 को रूपसिंह एवं मनोहरसिंह के मध्य राजीनामा हुआ तथा मृतक भॅवरबाई की प्रश्नाधीन वसीयत के संबंध में भी यह तय हुआ कि उक्त वसीयत के पालन में कोई आपत्ति नहीं करेंगा। साक्ष्य के दौरान रूपसिंह द्वारा दिनांक 22.11.2010 को मृतक भॅवरबाई की वसीयत दिनांक 23.05.1984 एवं फूलाबाई की वसीयत दिनांक 01.03.1980 व दो इकरारनामें दिनांक 12.04.1991 के मूल प्रति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, इसके बाद दिनांक 27.11.2010 को रूपसिंह की साक्ष्य प्रकरण में अंकित की गयी। दिनांक 26.02.2011 को उक्त दस्तावेज न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में नहीं पाये गये, उसके संबंध में रूपसिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। सूचना पुलिस थाना शामगढ़ को भी दी गयी, परन्तु उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसने उक्त द्वितीय साक्ष्य के रूप में पंजीयक कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दोनों इकरारनामों की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की एवं पंजीयक कार्यालय के कर्मचारी के कथन भी करवाये गये। चूंकि मृतक भॅवरबाई की वसीयत दिनांक 23.05.1984 के साक्षी चैनसिंह पिता रामसिंह की मृत्यु दिनांक 29.03.2001 एवं कन्हैयालाल एवं रामलाल की मृत्यु दिनांक 10.12.1992 को हो जाने से उनकी साक्ष्य नहीं करवाई जा सकी, परन्तु मौके पर अन्य साक्षी एवं पूर्व प्रकरण के अभिभाषक श्री विद्याशंकर जी जोशी के कथन करवाये गये। उन्होंने भॅवरबाई द्वारा वसीयत किये जाने एवं इकरारनामा लिखें जाने की स्वीकृति दी है। प्रकरण में आयी साक्ष्य एवं अभिकथनों के मान से प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) लागू नहीं होती है। धारा 15(1) का मूल पाठ इस प्रकार है कि – "The Property of the female dying intesteate sale devolve according to the rules set out in Section 16 Hindu Seccssion Act, 1956" इस प्रकार से 15(2) कार्यवाही करने के पूर्व धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी। धारा 16 का मूल पार्ट इस प्रकार है कि– "जब कोई हिन्दू महिला बिना वसीयत किये मर

जाती है तो उसकी सम्पत्ति का निराकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार होगा। इस प्रकरण में यह साबित है कि मृतक भॅवरबाई ने रूपसिंह के पक्ष में दिनांक 23.05.1984 को विधिवत पंजीकृत वसीयत सम्पादित की है, ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 आकर्शित नहीं होती, इसलिए 15(2) में किसी भी प्रकार का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में नहीं किया जा सकता। प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदक भॅवरबाई के पास कभी नहीं रहा और ना ही उसने भॅवरबाई का अंतिम संस्कार किया। ऐसी स्थिति में उसके कथनों के मान से वह दत्तक की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही उसका कोई रक्त संबंध है, ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित किया गया है, वह अपने स्थान पर विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखा जाये। अन्त में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी को बलहीन एवं सारहीन मानकर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उनके द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया गया। आवेदक मनोहरसिंह द्वारा मृतक की माता फूलकुॅवर एवं पिता भैरूसिंह द्वारा स्वंय को भतीजा होने से गोद रखे जाने तथा मृतक का निकटतम रक्त संबंधी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत वारिस नामान्तरण की मॉग की गयी थी एवं अपने पक्ष में साक्षियों के कथन करवाये गये। रूपसिंह पिता देवीसिंह द्वारा मृतक द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी तथा वसीयत के दोनों साक्षियों के मृत्यु होने से कथन करवाने में असमर्थता के कारण अन्य साक्षियों के कथन करवाये तथा मूल वसीयत दस्तावेज कथित रूप से गुम हो जाने के कारण पंजीयन कार्यालय अभिप्रमाणित प्रति पेश वसीयत के आधार पर नामान्तरण की मॉग की गयी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि वसीयत की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। वसीयत प्रति प्रस्तुत की जाकर गवाह कराये गये थे, इसलिए वसीयत को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता। मनोहरसिंह के आपसी सहमति से किये गये इकरारनामा कथनों की प्रतियॉ पेश की गयी तथा मनोहरसिंह के हक को अस्वीकार कर स्वंय को एकमात्र वारिस स्वीकार करने की मॉग की गई।

तहसील न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर दिनांक 21.10.2011 को नामान्तरण का आदेश पारित किया। तहसील न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य से भी आवेदक के दत्तक होने संबंधी पुष्टि नहीं होती। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य हुए इकरारनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) पर आवेदक द्वारा नामान्तरण हेतु अधिक बल दिया है, परन्तु नामान्तरण किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 15(2) के पूर्व धारा 15(1) के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया, जो इस प्रकार हैं कि धारा 16 के अनुसार जब कोई हिन्दू महिला बिना वसीयत किये मर जाती है, तब उसकी सम्पत्ति का निराकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार होगा। वर्तमान में प्रकरण मृतक भँवरबाई ने अनावेदक रूपसिह के पक्ष में दिनांक 23.05.1984 को वसीयत सम्पादित की है। आवेदक ना तो कभी भँवरबाई के पास रहा है और ना ही कोई दाह–संस्कार आदि का कार्य किया, इसलिए वह ना तो दत्तक की श्रेणी में आता है और ना ही उसका कोई रक्त संबंधी रिश्ता है। प्रकरण के चलते मूल दस्तावेज गुम हो गये, उन दस्तावेजों के संबंध में कोई जॉच नहीं की गई। प्रकरण में पुनः प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर उक्त दस्तावेज ग्राह्य किये गये और फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया। प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। मनोहरसिंह द्वारा प्रकरण में दत्तक पुत्र होने एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रक्त संबंधी रिश्ते की हैसियत से नामान्तरण चाहा। रूपसिंह द्वारा पंजीकृत वसीयत एवं प्रकरण में प्रस्तुत पक्षों के बीच हुए इकरारनामा के तहत नामान्तरण चाहा। चूंकि प्रकरण में दोनों के बीच नामान्तरण का विवाद है। मनोहरसिंह द्वारा दत्तक पुत्र हिन्दू उत्तराधिकार के अन्तर्गत नामान्तरण की मॉग की है, जबकि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा है। मनोहरसिंह द्वारा दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये। साथ ही मनोहरसिंह द्वारा इकरारनामा अनुसार प्रश्नाधीन भूमि को छोड़ देना माना गया था। रूपसिंह ने वसीयत अनुसार नामान्तरण चाहा है। उक्त वसीयत को मनोहरसिंह द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत इकरारनामें में उक्त वसीयत का

हवाला देते हुए प्रश्नाधीन भूमि को छोड़ना स्वीकार किया गया है। परन्तु पुनः मनोहरसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामान्तरण की मॉग की है। इस प्रकार उसके द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के आधार लिए गये हैं, जो नहीं लिए जा सकते। प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत पंजीकृत है एवं प्रमाणित है। मनोहरसिंह एवं रूपसिंह बीच हुए इकरारनामें अनुसार नामान्तरण कराने का अधिकार रूपसिंह को है। मनोहरसिंह द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिससे उसे नामान्तरण कराने की पात्रता हो। इन समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत विचार न कर वैधानिक त्रुटि की है, ऐसे अवैध आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश स्थिर रखा जाता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रकरण क्रमांक 492–I/2013 निगरानी के तथ्य भी इस प्रकरण के समान होने से यह आदेश इस प्रकरण में भी लागू होगा। इस प्रकरण से संबंधित प्रकरण क्रमांक 695/2011–12 अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर